**ईमेल**

प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
मेरठ सम्भाग, मेरठ।

सेवा मे,

कंसलटेन्ट, (ज्युडिशियल) एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

प0सं0 : 1324 डीडीएफ/एन0जी0टी0 दिनांक : 09/08/ 2024

महोदय,

कृपया आप निदेशक कारखाना, उ0प्र0, कानपुर के प0सं0: 2138 एफ/लाई0/NGT, दिनांकः 03.07.2024 एवं प0सं0: 2255 एफ/लाई0/NGT, दिनांकः 12.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइसेस खसरा नं0–757/1, 762/2, ग्राम–मसूरी, फिटकरी रोड, मेरठ में दिनांकः 27.02.2024 को घटित संघातक दुर्घटना के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु माननीय NGT, नई दिल्ली में दायर मूल आवेदन एवं पारित आदेश के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मूल आवेदन एवं दिनांकः 27.05.2024 को पारित आदेश हेतु कारखाना अधिनियम–1948 से सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब, सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ एवं क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब, उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, मेरठ से प्राप्त कर, सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

**संलग्नक – यथोक्त।**

भवदीय,

(रवीन्द्र कुमार)
उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
मेरठ सम्भाग, मेरठ।

पृ0सं0 : 1324(i-vii) डीडीएफ/उक्त दिनांक : 09/08/ 2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. निदेशक कारखाना, उ0प्र0, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, मेरठ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड (UPPCB), मेरठ।
6. उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
7. सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

(रवीन्द्र कुमार)
उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
मेरठ सम्भाग, मेरठ।

**ई–मेल**

**कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना, उ0 प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।**

प0सं0 : **492** एडीएफ / संघा0दुर्घ0 / 2024 दिनॉक : **09.08.2024**

उप निदेशक कारखाना, उ0 प्र0, मेरठ।

कृपया आप अपने पत्र संख्या–1296डीडीएफ / दुर्घ0 दिनॉक 08.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राईजेज, खसरा नं0–757 / 1, 762 / 2, ग्राम–मसूरी, फिटकरी रोड, मेरठ में दिनॉक 24 / 25.02.2024 को घटित संघातक दुर्घटना की जॉच के सम्बन्ध में अभी तक की गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराये जाने के विषय में है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मूल आवेदन संख्या–612 / 2024 Lakshmi & Others Vs State of Uttar Pradesh & Others एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनॉक 27.05.2024 के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम्–1948 के प्राविधानों के सम्बन्ध में अधोस्ताक्षरी एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम्–1923 के प्राविधानों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, मेरठ से सम्बन्धित प्रस्तरों का उत्तर, इस पत्र के साथ संलग्न कर, सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

(विवेक सारस्वत)
सहायक निदेशक कारखाना
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पृ0प0सं0: **492 (i)** / उक्त दिनॉक **09.08.2024**

प्रतिलिपि निदेशक कारखाना, उ0 प्र0, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विवेक सारस्वत)
सहायक निदेशक कारखाना
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

<u>मूल आवेदन संख्या–612/2024</u>

**<u>Lakshmi & Others Vs State of Uttar Pradesh & Others</u>**

**उक्त मूल आवेदन मे कारखाना अधिनियम्–1948 के प्राविधानों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक कारखाना मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब /उत्तर (Reply) निम्नलिखित है :–**

<u>प्रस्तर – 13</u>

सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ एवं श्रम प्रवर्तन अधिकरी, मेरठ द्वारा मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राईजेज, खसरा नं0–757/1, 762/2, ग्राम–मसूरी, फिटकरी रोड, मेरठ में घटित संघातक दुर्घटना की जॉच दिनॉक 04.03.2024 को की गयी थी। निरीक्षण के समय सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, मेरठ द्वारा निरीक्षण टिप्पणी में कारखाना अधिनियम्–1948 एवं सहपठित नियमावली–1950 के अन्तर्गत दुर्घटना का कारण एवं अन्य पाये गये उल्लंघनों को अंकित किया गया था।

<u>प्रस्तर – 14</u>

सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ (निरीक्षक कारखाना अधिनियम्–1948 की धारा–8 के अन्तर्गत) द्वारा कारखाना अधिनियम्–1948 के अन्तर्गत उप निदेशक कारखाना, मेरठ सम्भाग, मेरठ से अभियोग दायर करने की अनुमति प्राप्त कर, माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ के न्यायालय में 02 अभियोग दायर किये गये, जिनकी वाद संख्या–512/2024 एवं 513/2024 है।

**उक्त मूल आवेदन में कर्मचारी को क्षतिपूर्ति राशि हेतु कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम्–1923 के प्राविधानों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब/उत्तर (Reply)** निम्नलिखित है :–

<u>प्रस्तर – 16</u>

यह प्रस्तर सक्षम प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा सम्बन्धित होने के कारण उनके द्वारा प्रेषित आख्या (पत्रांकः 10776–77/एम0आर0कैम्प–2024, दिनांकः 09.08.2024) संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

<u>प्रस्तर – 17</u>

इस प्रस्तर का उत्तर पूर्व प्रस्तर–16 के अनुसार।

मूल आवेदन संख्या–612/2024

**Lakshmi & Others Vs State of Uttar Pradesh & Others के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश (Order) के सम्बन्ध में**

**उक्त आदेश में कारखाना अधिनियम्–1948 के प्राविधानों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, मेरठ क्षेत्र, मेरठ द्वारा सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब/उत्तर (Reply) निम्नलिखित है :–**

प्रस्तर – (3)

सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ एवं श्रम प्रवर्तन अधिकरी, मेरठ द्वारा मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राईजेज, खसरा नं0–757/1, 762/2, ग्राम–मसूरी, फिटकरी रोड, मेरठ में घटित संघातक दुर्घटना की जॉच दिनॉक 04.03.2024 को की गयी थी। निरीक्षण के समय सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, मेरठ द्वारा निरीक्षण टिप्पणी में कारखाना अधिनियम्–1948 एवं सहपठित नियमावली–1950 के अन्तर्गत दुर्घटना का कारण एवं अन्य पाये गये उल्लंघनों को अंकित किया गया था।

सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र, मेरठ (निरीक्षक कारखाना अधिनियम्–1948 की धारा–8 के अन्तर्गत) द्वारा कारखाना अधिनियम्–1948 के अन्तर्गत उप निदेशक कारखाना, मेरठ सम्भाग, मेरठ से अभियोग दायर करने की अनुमति प्राप्त कर, माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ के न्यायालय में 02 अभियोग दायर किये गये, जिनकी वाद संख्या–512/2024 एवं 513/2024 है।

**उक्त मूल आवेदन में कर्मचारी को क्षतिपूर्ति राशि हेतु कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम्–1923 के प्राविधानों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा सम्बन्धित प्रस्तरों का जवाब/उत्तर (Reply) निम्नलिखित है :–**

**प्रस्तर – (4)**

यह प्रस्तर सक्षम प्राधिकारी उप श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा सम्बन्धित होने के कारण उनके द्वारा प्रेषित आख्या (पत्रांक: 10776–77/एम0आर0कैम्प–2024, दिनांक: 09.08.2024) संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

(विवेक सारस्वत)
सहायक निदेशक कारखाना,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

09/8/24

प्रेषक,

उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

सेवा में,

उप निदेशक कारखाना,उ0प्र0,
मेरठ सम्भाग मेरठ।

पत्रांक /एम0आर0कैम्प–2024 दिनांक अगस्त,2024

**विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 612/2024 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

123
9/8/24

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र संख्या 11118 दिनांक 09.07.2024 एवं पत्र संख्या 1294 दिनांक 08.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2024 लक्ष्मी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जिसमें कारखाना मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज खसरा नं0 757/1, 762/2 ग्राम मसूरी फिटकरी रोड मेरठ में दिनांक 27.02.2024 को घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज के.0एच0 557/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड ग्राम मसूरी (फिटकरी रोड) मेरठ में दिनांक 27.02.2024 को हुई संघातक दुर्घटना के परिणामस्वरूप कर्मचारी शंकरलाल पुत्र श्री विजयपाली एवं प्रवीण पुत्र श्री चतरू (हैल्पर) की मृत्यु हो गयी थी। जिसके क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी से जॉच कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्तुत जॉच आख्या में पाये गये तथ्यों के आधार पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा–10 (ए) के अन्तर्गत सेवायोजक मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज के0एच0 557/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड ग्राम मसूरी (फिटकरी रोड) मेरठ को कार्यालय नोटिस संख्या 8252–57 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि इस कार्यालय में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सेवायोजक द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सेवायोजक द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनका प्रतिष्ठान ई0एस0आई0 में पंजीकृत है, जिसके अन्तर्गत मृतक कर्मचारी भी आवर्त है। अतः कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्राविधान उक्त प्रतिष्ठान पर लागू नही होते है। उक्त के बावजूद भी आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923/उप श्रमायुक्त मेरठ द्वारा अपने सूचना पत्र संख्या 7805 दिनांक 19.07.2024 के द्वारा मृतक कर्मचारी शंकर लाल पुत्र विजयपाल एवं प्रवीन पुत्र चकरू हेल्पर के आश्रित पक्षों को सक्षम न्यायालय के समक्ष अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार अपना दावा प्रस्तुत कर न्याय निर्णय के माध्यम से राहत प्राप्त करने हेतु संसूचित कर दिया गया है। प्रकरण में इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है।

कृपया उपरोक्तानुसार आख्या से अवगत होते हुये अपने स्तर से माननीय अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
श्रम प्रवर्तन अधिकारी
कृते उप श्रमायुक्त मेरठ, क्षेत्र
मेरठ।

पत्रांक 10776-77/एम0आर0कैम्प–2024 दिनांक 9 अगस्त,2024

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक, कारखाना, मेरठ को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09.8.24

श्रम प्रवर्तन अधिकारी
कृते उप श्रमायुक्त मेरठ, क्षेत्र
मेरठ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त

मेरठ

विषय:- मै० दुर्गा इंटरप्राइजेज, ग्राम - मछुरी, (मवाना रोड) में घटित दुर्घटना की जाँच के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक 3067-70/M.R.-अधि/दि० 02-03-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रतिष्ठान का दुर्घटना के संबंध में सहायक निदेशक कारखाना के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय जाँच कर आख्या देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त निर्देशों के क्रम में सहायक निदेशक कारखाना के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय जाँच की गई। जाँच में स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना में दो श्रमिकों की मृत्यु हुई एवं 03 श्रमिक घायल हैं, जिनका इलाज प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मृतक श्रमिकों लाल प्रतिष्ठान से संबंधित अभिलेख यथा - पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मकारों का उपस्थिति तथा वेतन संबंधी निर्धारित रजिस्टर, बोनस रजिस्टर, आदि प्रस्तुत नहीं किए गए। सेवायोजक द्वारा मौखिक जानकारी दी गई कि सभी श्रमिक E.S.I. से आच्छादित हैं, परन्तु आच्छादन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। मृतकों तथा घायलों के नाम निम्नवत हैं:-

कार्यालय उप श्रमायुक्त
3304
दिनांक 06/3/24
मेरठ क्षेत्र, मेरठ

कैम्प
आवश्यक कार्यवाही करें

मृतक

(1) ललित s/o विजयपाल
उम्र - 30 वर्ष
पद - Helper
पता :- किशोरपुरा माजरा बना
थाना इंचौली मेरठ

(2) प्रवीण कुमार s/o चन्दर सिंह
उम्र - 24 वर्ष
पद - Helper
पता :- किशोरपुरा, माजरा बना, थाना - इंचौली, मेरठ

घायल : (1) बबलू उम्र 42 वर्ष (2) शैली उम्र - 21 वर्ष (3) दिनेश उम्र - 35 वर्ष
निवासी - किशोरपुरा, माजरा - बना, थाना - इंचौली, मेरठ

~~राजीव कुमार सिंह~~
उप श्रमायुक्त

मौके पर शासनादेश सं० 13/2017/836/26-03-2017-1820/12 उ०प्र० मेरठ श्रम अनु० 2, लखनऊ दिनांक 28-7-2017 के क्रम में प्रतिष्ठान का संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी निर्गत कर दी गई है। मृतकों के आश्रितों के संबंध में प्रबंधन द्वारा समझौते की प्रति उपलब्ध कराई गई जो संलग्न है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न:-
(1) ADF के साथ जारी संयुक्त रिपोर्ट
(2) निरीक्षण टिप्पणी
(3) समझौते की प्रति

05-03-24
(सुधीर कुमार)
श्रम प्रवर्तन अधिकारी
मेरठ

TIN-09476522128

Ph.-9837158431
9927837620

# Durga Enterprises

Meerut-Mawana Raod, Vill. Masoori (Fitkari Road)
Meerut (U.P.)-250002

Ref. No.......................

Date 11.03.2024
Date..............................

Deputy Labour Commissioner,
&
The Commissioner under Employees' Compensation Act, 1923
Meerut

उप श्रमायुक्त कार्यालय मेरठ क्षेत्र मेरठ
3379
11/3/24

Ref. Letter no 88/MR ACCIDENT/EMPLOYEES COMPENSATION -24 DATED 27.02.2024

कैम्प
आवश्यक कार्यवाही करें

Notice under section 10-A/10B The Commissioner under Employees' Compensation Act, 1923

**MAY THIS AUTHORITY BE PLEASED AND CONSIDER GENUINE FACTS ON SYMPETHETIC GROUNDS FOR THE DISPOSAL OF THIS CASE.**

Sir,

राजीव कुमार सिंह
उप श्रमायुक्त
उ०प्र०, मेरठ

Respectfully submission is as followings:

A. That M/s Durga Enterprises is registered under ESI Act with Code number 67000635120000999 with effect from 15.05.2027.

B. That the injured persons were also covered with insurance number 6723149495 & 6723149471.

C. That beyond this coverage the hooligans terrorized us and compelled to pay (Rs. Five Lacks each to death cases) on the spot under compensation, which we paid in cash in the presence of these local powerful persons.

That as per provisions narrated under section 53 reading with 61 of ESI Act the injured persons are not entitled for any claim under any law.

For Durga Enterprises
Partner

For Durga Enterprises
Proprietor

134

M-09476522128

Ph.-9837158431
9927837620

# Durga Enterprises

Meerut-Mawana Raod, Vill. Masoori (Fitkari Road)
Meerut (U.P.)-250002

Ref. No........................ Date..............................

Therefore we most humbly we hereby request you to kindly absolve us from the demand called vide letter dated 28.02.2024. It is being hard to mention that other than inured person's family members, local physical powerful are creating such circumstances to live us hard. Your cooperation is prayed sympathetically.

Regards,

Yours truly

For Durga Enterprises

Partner

**न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त,उ0प्र0, श्रम भवन, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ।**

पत्रांक एम0आर0कैम्प–(सं0दुर्घ0/क्षतिपूर्ति) 2024 दिनांक ,2024

**::सूचना::**

**(कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 10–ए(4) के अन्तर्गत)**

1–श्री विजय पाल निवासी–किशोरपुरा माजरा बना
थाना–इंचौली जिला मेरठ।

2–श्री चतरू किशोरपुरा माजरा बना
थाना–इंचौली जिला मेरठ।

मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज के0एच0 557/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड ग्राम मसूरी (फिटकरी रोड), मेरठ में दिनांक 27.02.2024 को हुई संघातक दुर्घटना के परिणामस्वरूप कर्मचारी शंकरलाल पुत्र श्री विजयपाल एवं प्रवीण पुत्र श्री चतरू (हैल्पर) की मृत्यु हो गयी थी। जिसके कम में क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी से जॉच कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्तुत जॉच आख्या में पाये गये तथ्यों के आधार पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा–10 (ए) के अन्तर्गत सेवायोजक मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज के0एच0 557/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड ग्राम मसूरी (फिटकरी रोड), मेरठ को कार्यालय नोटिस संख्या 8252–57 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि इस कार्यालय में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सेवायोजक द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सेवायोजक द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनका प्रतिष्ठान ई0एस0आई0 में पंजीकृत है, जिसके अन्तर्गत मृतक कर्मचारी भी आवर्त हैं।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 के विहित प्राविधानों के अनुसार नियोजक द्वारा एक माह के भीतर क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न किये जाने की दशा में आश्रित पक्ष सक्षम न्यायालय में अपना वाद योजित कर राहत प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त के कम में मृतक कर्मचारी शंकरलाल पुत्र श्री विजयपाल एवं प्रवीण पुत्र श्री चतरू (हैल्पर) के आश्रित पक्षों को संसूचित किया जाता है कि यदि वह चाहें तो सक्षम न्यायालय (आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923) के समक्ष कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार अपना दावा प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।

(राजीव कुमार सिंह)
आयुक्त,कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923/
उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 7804-5 /एम0आर0कैम्प–(सं0दुर्घ0/क्षतिपूर्ति) 2024 दिनांक 19/2/ 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1–श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2–जिलाधिकारी, मेरठ।
3–मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज के0एच0 557/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड ग्राम मसूरी (फिटकरी रोड), मेरठ।

आयुक्त,कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923/
उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

आयुक्त,
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
एवं उप श्रमायुक्त, उ0 प्र0 मेरठ क्षेत्र।